



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन 1936 (शा०)
(सं० पटना ८७५) पटना, बुधवार, 22 अक्टूबर 2014

सं० ३ए-११-वे०नि०-०४/२०१४—९७२८-वि०

वित्त विभाग

संकल्प

22 अक्टूबर 2014

विषय:—विधि विभाग के अंतर्गत बिहार विधि सेवा (प्रीमियर सेवा) के अधीन सृजित विभिन्न राजपत्रित पदों के वेतनमान के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते मुकदमों की संख्या को कम करने हेतु बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का गठन किया गया है।

2. इस क्रम में उक्त नीति की कंडिका 11 (A) (B) के अधीन बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का गठन अधिसूचना सं० 2981/जे०, दिनांक 19/05/2014 द्वारा किया गया है। सेवाशर्त नियमावली में विधायी कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालयीन व्यवस्था के तहत विधि सेवा संवर्ग के लिए निम्नलिखित पद सोपान प्रीमियर सेवा के रूप में विहित किया गया है-

- (i) सहायक विधि पदाधिकारी
- (ii) उप विधि पदाधिकारी
- (iii) अपर विधि पदाधिकारी
- (iv) विधि पदाधिकारी

3. इन पदों के लिए सुसंगत वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 19/05/2014 के प्रभाव से बिहार विधि सेवा (प्रीमियर सेवा) के लिए निम्नलिखित पदों का वेतनमान (उनके सामने अंकित) स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान
1.	विधि पदाधिकारी	37400-67000/- +ग्रेड-पे पी0बी0-4+8700/-
2.	अपर विधि पदाधिकारी	15600-39100/- +ग्रेड-पे पी0बी0-3+7600/-
3.	उप विधि पदाधिकारी	15600-39100/- +ग्रेड-पे पी0बी0-3+6600/-
4.	सहायक विधि पदाधिकारी	9300-34800/- +ग्रेड-पे पी0बी0-2+5400/- एवं चार वर्ष के बाद पी0बी0-3+5400/-

5. इन पदों के लिए उपर्युक्त स्वीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के आलोक में किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

प्रभात शंकर,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 875-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>